



Neutral Citation No.-2026:AHC:5871

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-354 वर्ष 2026

मुर्सलीन उर्फ काला आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मोहम्मद जमील अख्तर, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. श्री वी.एम. जैदी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मोहम्मद जमील अख्तर, आवेदक के अधिवक्ता के साथ-साथ सुश्री इफरा इस्लाम, राज्य विधि अधिकारी के लिए संक्षिप्त जानकारी देते हुए सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान धारा 147, 302, 201 भ०द०वि०, थाना-छपरौली, ज़िला: बागपत के तहत 2022 के मामले में ज़मानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह के सह-आरोपी व्यक्तियों, शाहनवाज और मुजम्मिल को इस न्यायालय द्वारा पहले ही 12.5.2025 और 21.5.2025 के आदेश द्वारा ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि आवेदक की भूमिका सह-अभियुक्त के समान है, जिन्हें पहले ही ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है, इसलिए वह समानता के आधार पर ज़मानत पर भी रिहा किये जाने का हकदार है। आवेदक 18.11.2022 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
5. ज़मानत के लिए प्रार्थना का राज्य के विधि अधिकारी और सूचनाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा इस आधार पर पुरजोर विरोध किया गया है कि आवेदक मुख्य आरोपी व्यक्ति है, क्योंकि वह

अस्वीकरण. अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मुख्य षड्यंत्रकार था। यह ऑनर किलिंग का मामला है, क्योंकि इस मामले में मृतक आवेदक की बहन और उसकी बहन की दोस्त हैं और दोनों को मौत की सजा दी गई है। हालांकि, सह-अभियुक्त के साथ समानता और आवेदक के किसी आपराधिक इतिहास के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं पर उसके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और इस न्यायालय द्वारा **नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि०एल०जे० 938** में पारित निर्णय और **पारस राम विशनोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीOR/22410/2021** और **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एस.सी.सी. 51** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन को समानता के आधार पर **अनुमति** दी जाती है।

7. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक- मुरसलीन उर्फ काला को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो भारी ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए।

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक (1) मामले को खोलने, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 द०प्र०स० के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को ज़मानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष ज़मानत रद्द करने के आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

9. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और ज़मानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।



10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियों से किसी भी तरह से गवाहों की गवाही पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश प्रभावित नहीं होगा।

9 जनवरी, 2026

शालिनी

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)